



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16122024-259449
CG-MH-E-16122024-259449

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 991]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2024/ अग्रहायण 25, 1946
No. 991]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2024/ AGRAHAYANA 25, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
अधिसूचना

मुंबई, 16 दिसम्बर, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(अनुसंधान विश्लेषक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/220.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में-

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

(1) खंड (च) के बाद तथा खंड (छ) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्:-

“(चक) “प्रतिफल” (कन्सीडरेशन) का अर्थ है - अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान करने की एवज में या तो किसी ग्राहक से या फिर कहीं और से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, मिला या मिलने वाला किसी भी तरह का आर्थिक लाभ (जिसमें ऐसा कोई आर्थिक लाभ भी शामिल है, जो नकद में न मिलकर किसी और रूप में मिले);

(चख) “ ‘एकल (इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक’ के परिवार” में शामिल होंगे - वह अनुसंधान विश्लेषक, उसका पति या उसकी पत्नी, उसकी संतान और उसके माता-पिता;

(चग) “ग्राहक के परिवार” में शामिल होंगे - वह ग्राहक, उसका आश्रित पति या उसकी आश्रित पत्नी, उसकी आश्रित संतान और उसके आश्रित माता-पिता;”

(2) खंड (ढ) के बाद तथा खंड (ण) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्:-

“(ढक) “एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल)” का अर्थ है -कंपनी (बॉडी कारपोरेट / निगमित निकाय), जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप) और भागीदारी फर्म (पार्टनरशिप फर्म) भी शामिल हैं;

(ढख) “किसी दूसरी कारोबारी गतिविधि या कहीं और कार्य करने” का अर्थ है - वह कारोबारी गतिविधि या कहीं और वह कार्य करना, जिसका प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से कोई सरोकार न हो, और:

क. जिसमें ग्राहक या व्यक्ति के फंड आदि का प्रबंधन आदि करना शामिल नहीं है; या

ख. जिसका सरोकार किसी ग्राहक या व्यक्ति को किन्हीं प्रोडक्ट्स या आस्तियों (असेट्स) में निवेश करने की सलाह देने या उसकी सिफारिश करने से न हो;

(ढग) “भागीदार” (पार्टनर) का अर्थ है - किसी भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप) का भागीदार (पार्टनर), जो उस

फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान करता हो;

- (ढघ) “अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अनुसंधान विश्लेषक” का अर्थ है - कोई व्यक्ति या कोई भागीदारी फर्म, जो प्रतिफल (कन्सीडरेशन) की एवज में अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ देने के कारोबार में जुटा हुआ या जुटी हुई हो और जो किसी दूसरी कारोबारी गतिविधि में भी लगा या लगी हुई हो या कहीं और कार्य कर रहा हो या रही हो;
- (ढङ) “अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों” का अर्थ है - उस अनुसंधान विश्लेषक या उस अनुसंधान एंटीटी का कोई सदस्य (मेम्बर), भागीदार (पार्टनर), अधिकारी, निदेशक या कर्मचारी या दूसरा कोई स्टाफ, जिसमें ऐसा कोई व्यक्ति भी शामिल है जो उसके बराबर के ओहदे पर हो या वैसा ही कार्य कर रहा हो, फिर भले ही वह उस अनुसंधान विश्लेषक या उस अनुसंधान एंटीटी से किसी भी लिहाज से क्यों न जुड़ा हो, जो ग्राहकों या दूसरे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह या आम लोगों को अनुसंधान (रिसर्च) सेवाएँ प्रदान करने में लगा हुआ हो।

स्पष्टीकरण.- सभी ग्राहकों और आम लोगों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों [जैसे विश्लेषक, बिक्री से जुड़े कर्मचारियों (सेल्स स्टाफ), सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर, आदि (फिर चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए)] को अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े व्यक्ति माना जाएगा, किंतु इनमें वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे जो ऐसे लिपिकीय कार्य या कार्यालय के प्रशासनिक कार्य करते हों और जिनका अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से न तो कोई सरोकार हो और न ही जो ग्राहकों से किसी भी तरह से संपर्क में रहते हों;”

(3) खंड (ण) के बाद और खंड (त) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(णक) “मुख्य अधिकारी” (प्रिंसिपल ऑफिसर) -

- (i) महज अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान करने में जुटे हुए ‘एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक’ के मामले में, उस बोर्ड या उसी दर्जे के प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट बॉडी) का मैनेजिंग डायरेक्टर (प्रबंध निदेशक) या डेसिग्रेटेड (पदनामित) निदेशक या मैनेजिंग पार्टनर या कार्यपालक अध्यक्ष (एग्जिक्यूटिव चेयरमैन) माना जाएगा, जिस पर ‘एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक’ का पूरा कारोबार और कामकाज चलाने की जिम्मेदारी हो;
- (ii) अलग विभागों / प्रभागों के जरिए अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान करने से भिन्न दूसरे कार्यों में जुटे हुए ‘एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक’ के मामले में, प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) के स्तर के उस व्यक्ति को माना जा सकेगा, जो बिजनेस हेड (कारोबार का मुखिया) या यूनिट हेड (यूनिट का

मुखिया) हो, और जिस पर अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़ा पूरा कारोबार और कामकाज चलाने की जिम्मेदारी हो:

परंतु यह कि यदि 'एकल की श्रेणी में न आने वाला (नॉन-इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक' एक भागीदारी फर्म (पार्टनरशिप फर्म) हो, तो उसके किसी एक भागीदार को उसका मुख्य अधिकारी बनाया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि अनुसंधान विश्लेषक के तौर पर रजिस्टर फर्म के किसी भी भागीदार के पास इन विनियमों के अनुसार न्यूनतम योग्यता (अर्हता) न हो और जरूरी प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेशन) भी न हों, तो ऐसे में वह फर्म एक सीमित दायित्व भागीदारी (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप) या एक कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के रूप में अनुसंधान विश्लेषक के तौर पर रजिस्टर होने के लिए बोर्ड द्वारा बताए गए समय के भीतर आवेदन करेगी।

स्पष्टीकरण.- उप-खंड (i) के प्रावधान एकल की श्रेणी में न आने वाली (नॉन-इंडिविजुअल) एंटीटी के मुख्य अधिकारी पर भी लागू होंगे, जो एंटीटी अनुसंधान विश्लेषक और निवेश सलाहकार दोनों के तौर पर रजिस्टर हो, किंतु जो किसी भी दूसरी कारोबारी गतिविधि में न जुटी हुई हो।”

(4) खंड (न) में, शब्दों “अनुसंधान एंटीटी द्वारा नियोजित व्यक्ति अनुसंधान विश्लेषक” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ ‘अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अनुसंधान विश्लेषक’ या अनुसंधान एंटीटी द्वारा नियुक्त किए गए ‘एकल (इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक’ ” आ जाएंगे।

(5) खंड (प) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा:

“(प) “अनुसंधान विश्लेषक” का अर्थ है - वह व्यक्ति, जो प्रतिफल (कन्सीडरेशन) लेकर अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान करने का कारोबार कर रहा हो, और जिसमें ‘अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अनुसंधान विश्लेषक’ भी शामिल है;”

(6) खंड (ब) के बाद और खंड (भ) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

“(बक) “अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं” का अर्थ है - अनुसंधान विश्लेषक द्वारा ग्राहकों को या दूसरे व्यक्तियों को या व्यक्तियों के समूह को या आम लोगों को उन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) [जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टेड) हो या जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराए जाने का प्रस्ताव हो] के संबंध में प्रदान की जाने वाली निम्नलिखित सेवाएँ:

- i. अनुसंधान रिपोर्ट या अनुसंधान रिपोर्ट में दी जाने वाली जानकारी (विषय-वस्तु) तैयार करना या उसे प्रकाशित करना; या
- ii. अनुसंधान रिपोर्ट या अनुसंधान विश्लेषण उपलब्ध कराना या जारी करना; या
- iii. खरीदने / बेचने / रखे रहने का सुझाव आदि देना; या
- iv. यह सुझाव देना कि किस कीमत पर खरीदना है या किस कीमत पर बेचकर निकलना है (यानि कि प्राइस टारगेट क्या होगी और स्टॉप-लॉस कहाँ लगाना है); या

- v. सार्वजनिक प्रस्ताव (पब्लिक ऑफर) के बारे में राय देना, या
 - vi. यह सुझाव देना कि कौन-सा मॉडल पोर्टफोलियो लें; या
 - vii. ट्रेडिंग कॉल देना; या
 - viii. ऐसी ही कोई दूसरी तरह की सेवा प्रदान करना,
- फिर भले ही उस व्यक्ति को 'अनुसंधान विश्लेषक' कहा जाता हो या न कहा जाता हो;"
- (7) खंड (यख) में, चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ";" आ जाएगा।
- (8) खंड (यख) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -
- "(यग) "ट्रेडिंग कॉल" का अर्थ है - इंट्रा-डे (एक ही दिन में खरीदना-बेचना), अल्ट्रा-शॉर्ट ड्यूरेशन (बहुत ही कम समय में खरीदना-बेचना), बिना डिलीवरी वाली ट्रेडिंग (हैजिंग को छोड़कर) के सुझाव देना या फिर उन शेयरों आदि / प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) के बारे में कोई और सुझाव आदि देना जो किसी व्यक्ति विशेष या निवेशक विशेष के लिए न दिए जाएँ।"

II. विनियम 3 में, उप-विनियम (1) में,

- (1) दूसरे परंतुक में, चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा।
- (2) दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -
- "परंतु यह और कि इन विनियमों के तहत रजिस्टर अनुसंधान विश्लेषक के किसी मुख्य अधिकारी, उसकी अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े व्यक्ति और अनुसंधान विश्लेषक के भागीदार को इन विनियमों के विनियम 3 के तहत रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि इन विनियमों के विनियम 7 का पालन किया जाए।"

III. विनियम 6 में,

- (1) खंड (i) में, शब्दों "क्या आवेदक व्यक्ति है या निगमित निकाय है या सीमित दायित्व भागीदारी फर्म है" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "क्या आवेदक एक व्यक्ति है या एक कंपनी (बॉडी कारपोरेट / निगमित निकाय) है या भागीदारी (पार्टनरशिप) फर्म है या सीमित दायित्व भागीदारी (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप) फर्म है" आ जाएँगे;
- (2) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्:-
- "(ii) यदि आवेदक एक व्यक्ति हो, तो क्या उसके पास और अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े सभी व्यक्तियों के पास वह योग्यता (अर्हता) और प्रमाणपत्र है, जिसका जिक्र विनियम 7 में किया गया है;"

(3) खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्:-

“(iii) यदि आवेदक एक कंपनी (बॉडी कारपोरेट) हो, तो क्या मुख्य अधिकारी, अनुसंधान विश्लेषक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों और अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े सभी व्यक्तियों के पास वह योग्यता (अर्हता) और प्रमाणपत्र है, जिसका जिक्र विनियम 7 में किया गया है;”

(4) खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्:-

“(iv) यदि आवेदक एक भागीदारी फार्म (पार्टनरशिप फर्म) या एक सीमित दायित्व भागीदारी (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप) हो, तो क्या मुख्य अधिकारी, अनुसंधान रिपोर्ट जारी करने से जुड़े या अनुसंधान विश्लेषण के कार्य में जुटे भागीदारों और अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े सभी व्यक्तियों के पास वह योग्यता (अर्हता) और प्रमाणपत्र है, जिसका जिक्र विनियम 7 में किया गया है;”

(5) खंड (v) में, शब्दों, चिह्न तथा अंक “यदि आवेदक अनुसंधान एंटीटी है, तो क्या अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यक्ति अर्हित और प्रमाणित हैं जैसा विनियम 7 में विनिर्दिष्ट है;” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “यदि आवेदक एक अनुसंधान एंटीटी हो, तो क्या अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों और अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े सभी व्यक्तियों के पास वह योग्यता (अर्हता) और प्रमाणपत्र है, जिसका जिक्र विनियम 7 में किया गया है;” आ जाएँगे;

(6) खंड (vi) में, शब्दों, अंक तथा चिह्न “क्या आवेदक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को पूरा करता है;” के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न “क्या आवेदक विनियम 8 में दिए हुए प्रावधानों के अनुसार डिपॉजिट (जमाराशि) संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है;” आ जाएँगे;

(7) खंड (vii) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों “क्या आवेदक, अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यक्ति और आवेदक के भागीदार, यदि कोई हों, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति हैं;” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “क्या आवेदक, अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियुक्त व्यक्ति, अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े व्यक्ति और आवेदक के भागीदार (यदि कोई हों) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची-II में दिए हुए प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति हैं;” आ जाएँगे।

IV. विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्:-

“योग्यता (अर्हता) और प्रमाणपत्र संबंधी अपेक्षा

7. (1) इन विनियमों के तहत रजिस्टर ‘एकल (इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक’ या इन विनियमों के तहत रजिस्टर ‘एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक’ के मुख्य अधिकारी, अनुसंधान विश्लेषक के तौर पर नियुक्त व्यक्तियों और अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ

प्रदान करने में जुटे अनुसंधान विश्लेषक के भागीदारों (यदि कोई हों) के पास सदैव निम्नलिखित न्यूनतम योग्यताएँ होंगी:

- (i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अथवा किसी दूसरे देश के मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से या असोसिएशन से वित्त (फाइनेंस), अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, वाणिज्य (कॉमर्स), अर्थशास्त्र, पूँजी बाजार (कैपिटल मार्केट), बैंकिंग, बीमा, एक्चुरियल साइंस या अन्य वित्तीय सेवाओं में व्यावसायिक योग्यता या स्नातक की डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या
- (ii) व्यावसायिक योग्यता - राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.) से प्रतिभूति बाजार (अनुसंधान विश्लेषण) [सिक्यूरिटीज़ मार्केट (रिसर्च एनालिसिस)] में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम) पूरा करके या सी.एफ.ए. इंस्टिट्यूट की ओर से प्रदान किया जाने वाला सी.एफ.ए. चार्टर प्राप्त करके;

(2) अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों के पास सदैव केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अथवा किसी दूसरे देश के मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से किसी भी शाखा में न्यूनतम योग्यता के तौर पर स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

(3) इन विनियमों के तहत अनुसंधान विश्लेषक के तौर पर रजिस्टर व्यक्ति, 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक' के मुख्य अधिकारी, अनुसंधान विश्लेषक के तौर पर नियुक्त व्यक्तियों, अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े व्यक्ति और यदि अनुसंधान विश्लेषक एक भागीदार फर्म (पार्टनरशिप फर्म) हो तो उसके भागीदारों (पार्टनर) [यदि कोई हों] [जो अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान करने में जुटे हों] के पास सदैव राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.) का वह प्रमाणपत्र हो जिसके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए:

परंतु यह कि मौजूदा प्रमाणपत्र (प्रमाणीकरण / सर्टिफिकेशन) की मान्यता की अवधि समाप्त होने से पहले राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.) का वह नया प्रमाणपत्र हासिल करना होगा जिसके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए, ताकि प्रमाणपत्र से संबंधित अपेक्षाओं का सदैव पालन होता रहे।”

V. विनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्:-

“डिपॉज़िट (जमाराशि)

8. (1) अनुसंधान विश्लेषक को उतना डिपॉज़िट (जमाराशि) रखना होगा, जितना रखने के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(2) यह डिपॉज़िट (जमाराशि) किसी अनुसूचित बैंक में रखा जाएगा, जिस पर उस निकाय (बॉडी) या कंपनी (बॉडी कारपोरेट / निगमित निकाय) के पक्ष में लियन मार्क करवाया जाएगा जिसे इन विनियमों के विनियम 14 के अनुसार अनुसंधान विश्लेषकों का पर्यवेक्षण आदि करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो:

परंतु यह कि यदि अनुसंधान विश्लेषक विवाद सुलझाने की ऑनलाइन व्यवस्था या बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित ऐसी ही किसी दूसरी व्यवस्था के तहत मध्यस्थता और सुलह की कार्यवाहियों की वजह से देय रकम अदा नहीं करता है, तो ऐसे में वह रकम उस डिपॉजिट (जमाराशि) में से निकाली जा सकेगी।”

VI. विनियम 9 में,

- (1) शब्दों, अंक तथा चिह्नों “बोर्ड यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक विनियम 6 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, आवेदक को सूचना भेजेगा और दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस का भुगतान प्राप्त हो जाने पर, पहली अनुसूची के अधीन प्ररूप ख में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जैसा बोर्ड उपयुक्त और समुचित समझे।” के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न “बोर्ड यदि इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक विनियम 6 में दी हुई अपेक्षाओं का पालन करता है, तो वह इस संबंध में आवेदक को सूचित करेगा और दूसरी अनुसूची में बताई गई रजिस्ट्रीकरण फीस प्राप्त हो जाने पर, पहली अनुसूची के तहत, यथास्थिति, फॉर्म-ख में अनुसंधान विश्लेषक को, या फॉर्म-ग में ‘अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अनुसंधान विश्लेषक’ को, उन शर्तों आदि के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा जो बोर्ड ठीक समझे।” आ जाएँगे;
- (2) चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा;
- (3) निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह कि निवेश सलाहकार के रूप में रजिस्टर किसी व्यक्ति या भागीदारी फर्म (पार्टनरशिप फर्म) को भी अनुसंधान विश्लेषक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकेगा, बशर्ते कि उन शर्तों आदि का पालन किए जाए जो बोर्ड ठीक समझे।”

VII. विनियम 13 में,

- (1) खंड (iii) में,
 - (क) चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा;
 - (ख) निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह कि इन विनियमों के तहत रजिस्टर ‘अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अनुसंधान विश्लेषक’ अपने ग्राहकों को कोई भी सूचना आदि भेजते समय “अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अनुसंधान विश्लेषक” शब्दों का इस्तेमाल करेगा।”
- (2) खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(iv) ‘अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अनुसंधान विश्लेषक’ के ग्राहकों की संख्या किसी भी समय पचहत्तर से ज्यादा नहीं होगी।”

VIII. विनियम 14 में, उप-विनियम (1) के बाद और उप-विनियम (2) से पहले, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(1क) विनियम 14 में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, प्रॉक्सी सलाहकारों का पर्यवेक्षण आदि केवल बोर्ड द्वारा ही किया जाएगा।”

IX. विनियम 16 में,

- (1) उप-विनियम (2) में, शब्दों तथा चिह्न "स्वतंत्र अनुसंधान विश्लेषक, अनुसंधान एंटीटी द्वारा अनुसंधान विश्लेषकों के रूप में नियोजित व्यक्ति या उनके सहयुक्त उन प्रतिभूतियों में व्यौहार या व्यापार नहीं करेंगे जिनके संबंध में अनुसंधान विश्लेषक, अनुसंधान रिपोर्ट के प्रकाशन से तीस दिन पूर्व और पाँच दिन पश्चात् के भीतर, सिफारिश करता है या अनुगमन करता है।" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "स्वतंत्र अनुसंधान विश्लेषक, 'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अनुसंधान विश्लेषक', अनुसंधान एंटीटी द्वारा अनुसंधान विश्लेषक के तौर पर नियुक्त व्यक्ति या उनके सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) उन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में डील या ट्रेड (व्यापार / ट्रेडिंग) नहीं करेंगे, जिनके बारे में अनुसंधान विश्लेषक अनुसंधान रिपोर्ट के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन पहले से लेकर उसके प्रकाशित होने की तारीख से पाँच दिन बाद की अवधि के दौरान सिफारिश करता है या जिनका अनुसरण करता है।" आ जाएंगे;
- (2) खंड (3) में, शब्दों तथा चिह्नों "स्वतंत्र अनुसंधान विश्लेषक, अनुसंधान एंटीटी द्वारा अनुसंधान विश्लेषकों के रूप में नियोजित व्यक्ति या उनके सहयुक्त किन्हीं प्रतिभूतियों, जिनकी वह समीक्षा करता है, में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः व्यौहार या व्यापार नहीं करेंगे, इस प्रकार से कि वह उसकी दी गयी सिफारिश के प्रतिकूल हो।" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "स्वतंत्र अनुसंधान विश्लेषक, 'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अनुसंधान विश्लेषक', अनुसंधान एंटीटी द्वारा अनुसंधान विश्लेषकों के तौर पर नियुक्त व्यक्ति या उनके सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) जिन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की समीक्षा करते हों, वे, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके बारे में वे जो सिफारिशें देते हों, उसके उलट वे उनमें डील या ट्रेड नहीं करेंगे।" आ जाएंगे;
- (3) खंड (4) में, शब्दों तथा चिह्नों "स्वतंत्र अनुसंधान विश्लेषक, अनुसंधान एंटीटी द्वारा अनुसंधान विश्लेषकों के रूप में नियोजित व्यक्ति या उनके सहयुक्त निर्गमकर्ता के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव से पूर्व निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियों का क्रय या को प्राप्त नहीं करेंगे, यदि निर्गमकर्ता मुख्यतः उन कंपनियों के जैसा ही कारबार करने में लगा हुआ हो, जिनका अनुसंधान विश्लेषक अनुगमन करता है या जिनके संबंध में अनुसंधान विश्लेषक सिफारिश करता है।" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "स्वतंत्र अनुसंधान विश्लेषक, 'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अनुसंधान विश्लेषक', अनुसंधान एंटीटी द्वारा अनुसंधान विश्लेषकों के तौर पर नियुक्त व्यक्ति या उनके सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) किसी इश्युअर (निर्गमकर्ता) का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) आने से पहले उस इश्युअर की प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) तब नहीं खरीदेंगे या नहीं लेंगे, जब इश्युअर मुख्य तौर पर उन कंपनियों जैसा ही कारोबार कर रहा हो जिनका अनुसरण या जिनकी सिफारिश अनुसंधान विश्लेषक करता हो।" आ जाएंगे।

X. विनियम 19 में, खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

“(vii) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी को ग्राहक को इस बात की जानकारी (डिस्कलोज़र) देनी होगी कि अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का किस हद तक इस्तेमाल किया गया है।”

XI. विनियम 19 के बाद और विनियम 20 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“वेबसाइट

19क. अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी की एक ऐसी वेबसाइट रहेगी, जिस पर वे ब्यौरे उपलब्ध कराए जाते रहेंगे जिन्हें उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड कहे।”

XII. विनियम 20 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(4) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी यह सुनिश्चित करेगा या करेगी कि अनुसंधान रिपोर्ट में जो भी सिफारिशें दी जाएँ, उनके साथ-साथ वे आंकड़े भी दिए जाएँ और वह विश्लेषण भी पेश किया जाए जिसके या जिनके आधार पर अनुसंधान किया गया।”

XIII. विनियम 24 में,

(1) उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

“(6) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी को ग्राहक को उन शर्तों आदि की जानकारी (डिस्कलोज़र) देनी होगी, जो भी बोर्ड द्वारा बताई जाएँ और उन शर्तों आदि के संबंध में ग्राहक की सहमति उसी प्रकार लेनी होगी, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

(7) जो अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी अपने ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का इस्तेमाल करता हो या करती हो (फिर भले ही वह उनका इस्तेमाल किसी भी हद तक करता हो या करती हो या किसी भी कार्य के लिए करता हो या करती हो), वह ग्राहकों के आंकड़ों (डाटा) को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें गोपनीय रखने के लिए और उनसे किसी भी तरीके की छेड़छाड़ होने से रोकने के लिए; अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के लिए किसी दूसरी जानकारी या आंकड़ों (डाटा) का इस्तेमाल करने के लिए; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स से मिलने वाले नतीजों के आधार पर अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के लिए; और इस

संबंध में हर कानूनी प्रावधान का पालन करने के लिए केवल और केवल स्वयं ही जिम्मेदार होगा या होगी।

(8) मॉडल पोर्टफोलियो संबंधी सेवाएँ प्रदान करने में जुटे हुए अनुसंधान विश्लेषक या जुटी हुई अनुसंधान एंटीटी को उन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, जो बोर्ड द्वारा समय-समय जारी किए जाएँ।”

XIV. विनियम 25 में,

(1) उप-विनियम (1) में, खंड (iv) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

“(v) फीस अदा करने वाले ग्राहक के के.वाई.सी. रिकॉर्ड;

(vi) एक रजिस्टर या रिकॉर्ड, जिसमें ये ब्यौरे दर्ज हों - ग्राहकों की सूची [उनके पैन नंबर के साथ], अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवा कब प्रदान की गई और किस तरह की अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवा प्रदान की गई, उन प्रोडक्ट / प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के ब्यौरे जिनके संबंध में अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवा प्रदान की गई और ऐसी अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवा प्रदान करने के लिए ली गई कोई फीस / लिया गया कोई प्रतिफल (कन्सीडरेशन);

(vii) सभी ग्राहकों (भावी ग्राहकों सहित) को भेजे जाने वाले / से प्राप्त होने वाले ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग आदि के रिकॉर्ड, उसी तरह जैसा बताया जाए;

(viii) अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से संबंधित शर्तों आदि की ग्राहकों को दी गई जानकारी और उनके संबंध में ग्राहकों से ली गई सहमति।”

(2) उप-विनियम (3) में, शब्दों “के सदस्य से लेखापरीक्षा करायेगी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य से वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा (ऑडिट) कराएगी, और जिसकी रिपोर्ट उसी तरह से प्रस्तुत करेगी जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए” आ जाएंगे।

XV. विनियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्:-

“अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस आफिसर) की नियुक्ति

26. (1) ‘एकल की श्रेणी में न आने वाला (नॉन-इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक’ या अनुसंधान एंटीटी:

(i) या तो अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस आफिसर) को नियुक्त करेगा या करेगी; या फिर

(ii) ऐसी किसी स्वतंत्र पेशेवर व्यक्ति को नियुक्त करेगा या करेगी, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सदस्य हो अथवा बोर्ड द्वारा बताए गए किसी अन्य पेशेवर निकाय (बॉडी) का सदस्य हो, बशर्ते कि उस पेशेवर व्यक्ति के पास राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.) का वह संबंधित प्रमाणपत्र हो जिसके बारे में बोर्ड द्वारा बताया जाए,

और जो इस पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार होगा कि अधिनियम तथा इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों का और बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर्स) का पालन हो रहा है या नहीं।

- (2) इस विनियम के उप-विनियम (1) में जिस स्वतंत्र पेशेवर व्यक्ति का जिक्र किया गया है, यदि उसे प्रावधानों आदि के पालन पर नज़र रखने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे में मुख्य अधिकारी बोर्ड या इन विनियमों के विनियम 14 के तहत मान्यताप्राप्त निकाय (बॉडी) या कंपनी (बॉडी कारपोरेट / निगमित निकाय) को एक वचन प्रस्तुत करेगा कि मुख्य अधिकारी इस पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार होगा कि अधिनियम, बोर्ड द्वारा जारी विनियमों (रेग्यूलेशन्स) तथा अधिसूचनाओं के प्रावधानों का और दिशानिर्देशों तथा अनुदेशों का पालन हो रहा है या नहीं।”

XVI. विनियम 26ख के बाद और विनियम 27 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“एक ही ग्राहक को अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ और डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी सेवाएँ प्रदान न किए जाने के संबंध में

26ग. (1) ‘एकल (इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक’ डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी सेवाएँ प्रदान नहीं करेगा।

- (2) ‘एकल (इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक’ का परिवार उस ग्राहक को डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी सेवाएँ प्रदान नहीं करेगा जिसे ‘एकल (इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक’ द्वारा अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान की जा रही हों, और कोई भी ‘एकल (इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक’ उस ग्राहक को अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान नहीं करेगा जो उसके परिवार के अन्य सदस्यों से डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी सेवाएँ ले रहा हो।

- (3) ‘एकल की श्रेणी में न आने वाला (नॉन-इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक’ या अनुसंधान एंटीटी, समूह (ग्रुप) के स्तर पर, एक ही ग्राहक को अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ और डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी सेवाएँ प्रदान नहीं करेगा या करेगी।

स्पष्टीकरण.-

- (i) एक ही ग्राहक को एकल की श्रेणी में न आने वाली (नॉन-इंडिविजुअल) एंटीटी के समूह (ग्रुप) के स्तर पर अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ और डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी सेवाएँ दोनों प्रदान नहीं की जा सकतीं।
- (ii) कोई ग्राहक, समूह (ग्रुप) के स्तर पर, या तो अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ ले सकता है और जहाँ उस ग्रुप में से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी सेवाओं की एवज में कोई भी रकम प्राप्त न करे, और या फिर वह डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी सेवाएँ ले सकता है और जहाँ उस ग्रुप में से कोई भी अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवा हेतु किसी भी तरह की कोई फीस उस ग्राहक से न ले।
- (iii) इस प्रयोजनार्थ 'समूह' (ग्रुप) का अर्थ होगा - 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक' या अनुसंधान एंटीटी (जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी हो) के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसी एंटीटी, जो नियंत्री (धारिता / होल्लिंग), सहायक (समनुषंगी / सब्सिडियरी), सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट), नियंत्री कंपनी (होल्लिंग कंपनी) [जिसकी वह भी एक सहायक (सब्सिडियरी) हो] की सहायक (सब्सिडियरी) या निवेश करने वाली कंपनी (इन्वेस्टिंग कंपनी) या कंपनी की वेंचरर हो; और किसी अन्य मामले में, वह एंटीटी जिसका 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक' में नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट) हो या जिसमें 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक' का नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट) हो।
- (4) 'एकल की श्रेणी में न आने वाला (नॉन-इंडिविजुअल) अनुसंधान विश्लेषक' या अनुसंधान एंटीटी, अनुसंधान विश्लेषक के तौर पर और वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर) अपने कार्यों के बीच समुचित दूरी का संबंध बनाए रखेगा या रखेगी, और ऐसा खासकर अलग से बनाए गए विभाग (डिपार्टमेंट) या प्रभाग (डिविज़न) के जरिए अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान करके किया जाएगा।
- (5) समूह (ग्रुप) के स्तर पर या परिवार के स्तर पर एक ही ग्राहक को दोनों सेवाएँ प्रदान न किए जाने के प्रावधान का पालन उसी तरह करना होगा और उस प्रावधान के पालन पर नज़र रखनी होगी जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों में बताया जाए।"

XVII. विनियम 29 में,

- (1) उप-विनियम (1) में, शब्दों तथा चिह्न "उनका प्रतिनिधि, यदि कोई हो, सम्मिलित है" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "भागीदार (पार्टनर), निदेशक, मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) और अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े व्यक्ति, यदि कोई हों, शामिल हैं" आ जाएंगे;
- (2) उप-विनियम (3) में, शब्दों तथा चिह्न "निदेशक, भागीदार" के बाद और शब्दों "या उसके" से पहले चिह्न तथा शब्द ", मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) और अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े व्यक्ति" आ जाएंगे।

XVIII. विनियम 31 में,

- (1) शब्द तथा चिह्न "विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के हित में ठीक समझे, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं;" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "निवेशकों के हित में ठीक समझे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं" आ जाएंगे;
- (2) खंड (i) में दिए हुए शब्द "अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी से विशिष्ट अवधि के लिए अनुसंधान संबंधी सिफारिश न करने की अपेक्षा करना" हट जाएंगे;
- (3) खंड (i) में निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न जोड़े जाएंगे,

"अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी [जिनमें भागीदार (पार्टनर), निदेशक, मुख्य अधिकारी और अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं] से एक अवधि विशेष तक अनुसंधान के आधार पर सिफारिश न देने की अपेक्षा करना;"
- (4) खंड (iii) में, शब्दों "को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पूँजी बाजार में प्रचालन करने या पूँजी बाजार में पहुँच रखने से प्रतिषिद्ध करना" के स्थान पर चिह्न तथा शब्द "[जिसमें भागीदार (पार्टनर), निदेशक, मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) और अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं] को एक निर्धारित अवधि के लिए पूँजी बाजार (कैपिटल मार्केट) से किसी भी तरह से जुड़ने से रोकना" आ जाएंगे।

XIX. पहली अनुसूची में,

- (1) प्ररूप-क में,

(क) मद (1) में, खंड (ड) के बाद और खंड (च) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"(डक) यह बताएँ कि क्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन 'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अनुसंधान विश्लेषक' के लिए किया गया है।

(डख) क्या आवेदक किसी दूसरी कारोबारी गतिविधि में जुटा हुआ है या कहीं और कार्यरत है? यदि ऐसा है, तो इनके ब्यौरे दें।”

(ख) मद (2) में,

i. खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) क्या आवेदक या मुख्य अधिकारी या अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े व्यक्ति (जिसे आवेदक द्वारा नियुक्त किया गया हो) या अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान करने वाले आवेदक के भागीदार के पास वह योग्यता है, जिसका जिक्र विनियम 7 में किया गया है?”

ii. खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्:-

“(घ) अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें आवेदक द्वारा नियुक्त किया गया हो और जो इन विनियमों के अनुसार आवेदक की ओर से अनुसंधान संबंधी विश्लेषण करने और/या अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने के कार्य करेंगे। [इसके ब्यौरे दें, और साथ ही अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े ऐसे व्यक्तियों की योग्यता से संबंधित जरूरी दस्तावेजों की प्रतियाँ (स्वयं प्रमाणित करके) प्रस्तुत करें]”

iii. खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्:-

“(ङ) आवेदक की ओर से यह घोषणा कि मुख्य अधिकारी, अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े व्यक्ति (जिन्हें नियुक्त किया गया हो), और आवेदक के भागीदार [जो अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान कर रहे हों] (यदि कोई हों) योग्यता से संबंधित उन अपेक्षाओं का वर्तमान में पालन कर रहे हैं, जिनका जिक्र विनियम 7 में किया गया है।”

iv. खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्: -

“(च) आवेदक की ओर से यह घोषणा कि मुख्य अधिकारी, अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं से जुड़े व्यक्ति (जिन्हें नियुक्त किया गया हो) और आवेदक के [जो भागीदार अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान कर रहे हों] (यदि कोई हों) सदैव प्रमाणपत्र होने और योग्यता से संबंधित उन अपेक्षाओं का पालन करते रहेंगे, जिनका जिक्र विनियम 7 में

किया गया है (जिसमें किसी प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने से पहले ही नया प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रावधान का पालन करना भी शामिल है)।”

v. खंड (च) के बाद और खंड (छ) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(चक) यदि आवेदक कहीं और कार्यरत है और उसने ‘अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अनुसंधान विश्लेषक’ के रूप में रजिस्टर होने के लिए आवेदन किया हो, तो ऐसे में वह जहाँ कार्यरत है वहाँ से उसे एक अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक किसी नई जगह कार्य करना शुरू कर दे, तो उसे वहाँ से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा।”

vi. खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्:-

“(ज) शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) के ब्यौरे या आस्तियों एवं देयताओं (असेट्स एंड लाइबिलिटीज़) के विवरण (स्टेटमेंट) की प्रमाणित प्रति।”

(ग) मद (5) में, खंड (च) के बाद और खंड (छ) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(चक) यदि आवेदक ‘अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अनुसंधान विश्लेषक’ के रूप में रजिस्टर होना चाहता है, तो ऐसे में इस संबंध में एक घोषणा कि वह अनुसंधान विश्लेषक के तौर पर अपनी कारोबारी गतिविधि और दूसरी कारोबारी गतिविधि के बीच समुचित दूरी का संबंध बनाए रखेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसंधान विश्लेषक के तौर पर उसकी कारोबारी गतिविधियाँ उसकी दूसरी कारोबारी गतिविधियों से पूरी तरह से अलग रहें और साथ ही यदि वह कहीं और कार्य कर रहा हो तो उससे भी पूरी तरह से अलग रहें।”

(घ) मद 6 अब मद 7 बन जाएगी।

(ङ) मद 5 के बाद, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी:-

“6. अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाओं और डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी सेवाओं के संबंध में

(क) यह घोषणा प्रस्तुत करें कि उपरोक्त सेवा हेतु अनुसंधान विश्लेषक के, यथास्थिति, समूह (ग्रुप) के स्तर पर या परिवार के स्तर पर, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई भी प्रतिफल (कन्सीडरेशन) [जिसमें शामिल है - कोई कमीशन या रेफरल फीस, फिर चाहे वह स्वतः

मिले या अप्रत्यक्ष रूप से मिले या फिर किसी अन्य रूप में मिले, और फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए] नहीं लिया जाएगा।

(ख) यदि आवेदक 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल)' की श्रेणी में आता है, तो क्या आवेदक डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी सेवाएँ देने का प्रस्ताव करता है।"

(2) प्ररूप-ख के बाद, निम्नलिखित "प्ररूप-ग" जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप-ग
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014
[विनियम 9 देखें]

'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अनुसंधान विश्लेषक' के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

- I. बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) [सेबी अधिनियम] के तहत बनाए गए विनियमों के साथ पठित, सेबी अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, सेबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों में दी हुई शर्तों के तहत, _____ को, 'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अनुसंधान विश्लेषक' के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।
- II. 'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) अनुसंधान विश्लेषक' की रजिस्ट्रीकरण सं. है: आईएन/आरए/ _____।
- III. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक मान्य रहेगा, जब तक कि इसे बोर्ड द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए।

तारीख:

स्थान: मुंबई

आदेश द्वारा
ह/-
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
के लिए और की ओर से"

प्रमोद राव, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./763/2024-25]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/07/1414 द्वारा, 1 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 तत्पश्चात्,-

- क. 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
- ख. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- ग. 16 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/09, द्वारा
- घ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- ङ. 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/115, द्वारा
- च. 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
- छ. 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/137, द्वारा
- ज. 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/146, द्वारा
- झ. 26 अप्रैल, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/170, द्वारा
- ञ. 19 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/199, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th December, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (RESEARCH ANALYSTS)
(THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/220 — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, namely: —

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Third Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014 –

I. in regulation 2, in sub-regulation (1),

(1) after clause (f) and before clause (g), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(fa) “consideration” means any form of economic benefit including non-cash benefit, received or receivable, directly or indirectly, in any form whether from client or otherwise for providing research services;

(fb) “family of an individual research analyst” shall include individual research analyst, spouse, children and parents;

(fc) “family of client” shall include individual client, dependent spouse, dependent children and dependent parents;”

(2) after clause (n) and before clause (o), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(na) “non-individual” means a body corporate including a limited liability partnership and a partnership firm;

(nb) “other business activity or employment” means such business activity or employment which is not related to securities and:

a. it does not involve handling or managing of money or funds of client or person; or

b. it is not related to providing advice or recommendation to any client or person in respect of any products or assets for investment purposes;

(nc) “partner” means partner of the partnership firm or a limited liability partnership who renders research services on behalf of the firm or limited liability partnership;

(nd) “part-time research analyst” means an individual or a partnership firm who for consideration, is engaged in the business of providing research services and is also engaged in any other business activity or employment;

(ne) “persons associated with research services” shall mean any member, partner, officer, director or employee or any other staff of such research analyst or research entity including any person occupying a similar status or performing a similar function irrespective of the nature of association with the research analyst or research entity who is engaged in providing research services to the clients or other persons or group of persons or general public.

Explanation. - All client and public facing persons such as analysts, sales staff, service relationship managers, client relationship managers, etc., by whatever name called, shall be

deemed to be persons associated with research services, but shall not include persons who discharge clerical or office administrative functions where there is no connection with research services and they have no client contact;”

- (3) after clause (o) and before clause (p), the following clause shall be inserted, namely: -

“(oa) “principal officer” in case of non-individual research analyst engaged –

- (i) solely in providing research services, shall mean the managing director or designated director or managing partner or executive chairman of the board or equivalent management body who is responsible for the overall function of the business and operations of non-individual research analyst;
- (ii) in activities other than research services through separate departments/divisions, may be the person at the management level who is a business head or unit head, responsible for the overall function of the business and operations related to research services:

Provided that in case of non-individual research analyst being a partnership firm one of the partners shall be designated as its principal officer:

Provided further that where no partner of firm registered as a research analyst has minimum qualification and certification requirements provided in these regulations, it shall apply for registration as a research analyst in the form of a limited liability partnership or a body corporate within such time as may be specified by the Board.

Explanation. — The provisions of sub clause (i) shall also be applicable to the principal officer of a non-individual entity registered both as a research analyst and an investment adviser but engaged in no other business activity.”

- (4) in clause (t), after the words “independent research analyst” and before the words “or individual research analyst”, the words and symbol “or part-time research analyst”, shall be inserted.

- (5) clause (u) shall be substituted with the following:

“(u) “research analyst” means a person who, for consideration, is engaged in the business of providing research services and includes a part-time research analyst;”

- (6) after clause (w) and before clause (x), the following clause shall be inserted, namely: -

“(wa) “research services” means the following services provided by research analyst:

- i. preparation or publication of the research report or content of the research report; or
- ii. providing or issuing research report or research analysis; or
- iii. making 'buy/sell/hold' recommendation; or
- iv. giving price target or stop loss target; or
- v. offering an opinion concerning public offer, or
- vi. recommending model portfolio; or
- vii. providing trading calls; or
- viii. any other service of similar nature or character,

with respect to securities that are listed or proposed to be listed in a stock exchange, whether or not any such person has the job title of 'research analyst' to the clients or other persons or group of persons or general public;”

- (7) in clause (zb), the symbol “.” shall be substituted with the symbol “;”.

- (8) after clause (zb), the following clause shall be inserted, namely: -

“(zc) “trading calls” means intraday, ultra-short duration, non-delivery based (other than hedging) recommendation or any recommendation related to securities that are not personalized or investor specific.”

II. in regulation 3, sub-regulation (1),

(1) in second proviso, the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:”.

(2) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that any principal officer, person associated with research services and partner of a research analyst which is registered under these regulations shall not be required to seek registration under regulation 3, subject to compliance with regulation 7 of these regulations.”

III. in regulation 6,

(1) in clause (i), after the words “body corporate or” and before the words “limited liability partnership”, the words “partnership firm or” shall be inserted;

(2) clause (ii) shall be substituted with the following, namely: -

“(ii) whether in case the applicant is an individual, he and all persons associated with research services are appropriately qualified and certified as specified in regulation 7;”

(3) clause (iii) shall be substituted with the following, namely: -

“(iii) whether in case the applicant is a body corporate, the principal officer, individuals employed as research analyst and all persons associated with research services are appropriately qualified and certified as specified in regulation 7;”

(4) clause (iv) shall be substituted with the following, namely: -

“(iv) whether in case the applicant is a partnership firm or a limited liability partnership, the principal officer, partners engaged in issuance of research report or research analysis and all person associated with research services are appropriately qualified and certified as specified in regulation 7;”

(5) in clause (v), after the words “as research analyst” and before the words “are qualified”, the words “and all persons associated with research services” shall be inserted;

(6) in clause (vi), the words “capital adequacy” shall be substituted with the word “deposit”;

(7) in clause (vii), after the words “research analyst” and before the words “and partners of the applicant”, the words and symbol “, persons associated with research services” shall be inserted.

IV. regulation 7 shall be substituted with the following, namely: -

“Qualification and certification requirement.

7. (1) An individual research analyst or a principal officer of a non-individual research analyst registered under these regulations, individuals employed as research analyst and partners of a research analyst, if any, engaged in research services shall have the following minimum qualifications, at all times:

(i) A professional qualification or graduate degree or post-graduate degree or post graduate diploma in finance, accountancy, business management, commerce, economics, capital market, banking, insurance, actuarial science or other financial services from a university or institution recognized by the Central Government or any State Government or a recognised foreign university or institution or association; or

- (ii) a professional qualification by completing a Post Graduate Program in the Securities Market (Research Analysis) from NISM of a duration not less than one year or a professional qualification by obtaining a CFA Charter from the CFA Institute;
- (2) Persons associated with research services shall, at all times, have minimum qualification of a graduate degree in any discipline from a university or institution recognized by the Central Government or any State Government or a recognized foreign university or institution.
- (3) An individual registered as research analyst under these regulations, a principal officer of a non-individual research analyst, individuals employed as research analyst, person associated with research services and in case of the research analyst being a partnership firm, the partners thereof if any, who are engaged in providing research services, shall have, at all times, a NISM certification as specified by the Board from time to time:

Provided that a fresh relevant NISM certification as specified by the Board from time to time shall be obtained before expiry of the validity of the existing certification to ensure continuity in compliance with certification requirements.”

V. regulation 8 shall be substituted with the following, namely: -

“Deposit.

- 8. (1) A research analyst shall maintain a deposit of such sum as specified by the Board from time to time.
- (2) The deposit shall be maintained with a scheduled bank, marked as lien in favour of a body or body corporate recognised by the Board for the purpose of administration and supervision of research analysts in accordance with regulation 14 of these regulations:

Provided that such deposit shall be available for utilization in case the research analyst fails to pay dues emanating out of arbitration and conciliation proceedings, if any, under the Online Dispute Resolution Mechanism or such other mechanism as may be specified by the Board.”

VI. in regulation 9,

- (1) after the words “Form B” and before the words “under First Schedule”, the words and symbols “to a research analyst or in Form C to a part-time research analyst, as the case may be” shall be inserted;
- (2) the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:.”;
- (3) the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that an individual or partnership firm registered as an investment adviser may also be granted certificate of registration as a research analyst, subject to such terms and conditions as the Board may deem fit and appropriate.”

VII. in regulation 13,

- (1) in clause (iii),
 - (a) the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:.”;
 - (b) the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that part-time research analyst registered under these regulations shall use the term ‘part-time research analyst’ in all correspondences with its clients.”

- (2) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely: -

“(iv) the number of clients of a part-time research analyst shall not exceed seventy-five in total at any point of time.”

- VIII. in regulation 14, after sub-regulation (1) and before sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted namely:
- “(1A) Notwithstanding anything contained in regulation 14, the administration and supervision of the proxy advisers shall entirely vest with the Board.”
- IX. in regulation 16,
- (1) in sub-regulation (2), after the words and symbol “Independent research analysts,” and before the words “individuals employed”, the words and symbols “part-time research analysts,” shall be inserted;
 - (2) in clause (3), after the words and symbol “Independent research analysts,” and before the words “individuals employed”, the words and symbols “part-time research analysts,” shall be inserted;
 - (3) in clause (4), after the words and symbol “Independent research analysts,” and before the words “individuals employed”, the words and symbols “part-time research analysts,” shall be inserted.
- X. in regulation 19, after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely: -
- “(vii) A research analyst or research entity shall disclose to the client the extent of use of Artificial Intelligence tools in providing research services.”
- XI. after regulation 19 and before regulation 20, the following regulation shall be inserted, namely: -
- “Website.
- 19A. A Research analyst or research entity shall maintain a functional website containing such details as may be specified by the Board.”
- XII. in regulation 20, after sub-regulation (3), the following sub-regulation, shall be inserted, namely: -
- “(4) Research analyst or research entity shall ensure that the recommendations in the research report are corroborated by relevant data and analysis forming the basis for such research service.”
- XIII. in regulation 24,
- (1) after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted namely: -
 - “(6) A research analyst or research entity shall disclose to the client the terms and conditions as may be specified by the Board and take consent of the client on such terms and conditions in such manner as may be specified by the Board.
 - (7) A research analyst or research entity who uses Artificial Intelligence tools, irrespective of the scale and scenario of adoption of such tools, for servicing its clients shall be solely responsible for the security, confidentiality and integrity of the client data, use of any other information or data for research services, research services based on output of Artificial Intelligence tools and compliance with any law for the time being in force.
 - (8) Research analyst or research entity engaged in providing model portfolio shall abide by the guidelines issued by the Board from time to time.”
- XIV. in regulation 25,
- (1) in sub-regulation (1), after clause (iv), the following clauses shall be inserted, namely: -
 - “(v) Know Your Client records of the fee paying client;
 - (vi) a register or record containing list of the clients along with client’s PAN, the date and nature of the research service, details of the products/securities for which research service was provided and fee/consideration, if any charged/received for such research service;

- (vii) records of communication including emails, call recordings etc. with all clients including prospective clients in such manner as may be specified;
- (viii) the terms and conditions of research services disclosed to the clients and the consent of the client thereon.”
- (2) in sub-regulation (3), after the words “Institute of Company Secretaries of India” and before the symbol “.”, the words “or Institute of Cost Accountants of India and submit the report of the same in such manner as may be specified by the Board” shall be inserted.

XV. regulation 26 shall be substituted with the following, namely: -

“Appointment of compliance officer.

26. (1) A non-individual research analyst or research entity shall appoint either:

- (i) a compliance officer; or
- (ii) an independent professional who is a member of Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Company Secretaries of India or Institute of Cost Accountants of India or member of any other professional body as may be specified by the Board, provided that such a professional holds a relevant certification from NISM, as specified by the Board

who shall be responsible for monitoring the compliance of the provisions of the Act, these regulations and circulars issued by the Board.

- (2) Where independent professional referred in sub-regulation (1) of this regulation is appointed for monitoring compliance, the principal officer shall submit an undertaking to the Board or the body or body corporate recognised under regulation 14 of these regulations to the effect that principal officer shall be responsible for monitoring the compliance in respect of the requirements of the Act, regulations, notifications, guidelines, instructions issued by the Board.”

XVI. after regulation 26B and before regulation 27, the following regulation shall be inserted, namely: -

“Client level segregation of research services and distribution activities.

26C. (1) An individual research analyst shall not provide distribution services.

- (2) The family of an individual research analyst shall not provide distribution services to the client to whom research services are being rendered by the individual research analyst and no individual research analyst shall render research services to a client who is receiving distribution services from other family members.
- (3) A non-individual research analyst or research entity shall have client level segregation at group level for research services and distribution services.

Explanation. —

- (i) The same client cannot be offered both research and distribution services within the group of the non-individual entity.
- (ii) A client can either be receiving research services where no distributor consideration is received at the group level or distribution services where no research services fee is collected from the client at the group level.
- (iii) ‘Group’ for this purpose shall mean an entity which is a holding, subsidiary, associate, subsidiary of a holding company to which it is also a subsidiary, an investing company or the venturer of the company as per the provisions of Companies Act, 2013 for non-individual research analyst or research entity which is a company under the said Act and in any other case, an entity which has a controlling interest or is subject to the controlling interest of a non-individual research analyst.

(4) Non-individual research analyst or research entity shall maintain an arm's length relationship between its activities as research analyst and distributor by providing research services through a separately identifiable department or division.

(5) Compliance and monitoring process for client segregation at group or family level shall be in accordance with the guidelines specified by the Board.”

XVII. in regulation 29,

- (1) in sub-regulation (1), the words “their representatives” shall be substituted with the words and symbols “partners, directors, principal officer and persons associated with research services”;
- (2) in sub-regulation (3), after the words and symbol “director, partner” and before the words “or person responsible for”, the words and symbol “, principal officer and person associated with research services” shall be inserted.

XVIII. in regulation 31,

- (1) the words “requiring research analyst or research entity not to provide research recommendation for a particular period”, appearing after the words “or the investors including” shall be omitted;
- (2) the existing clause (i) and (ii) shall be renumbered as (ii) and (iii), respectively;
- (3) the following clause shall be inserted as clause (i),

“requiring research analyst or research entity including partners, directors, principal officer and persons associated with research services, not to provide research recommendation for a particular period;”

- (4) in clause (ii), after the words “research analyst or research entity” and before the words “from operating in the capital market”, the words and symbols “including partners, directors, principal officer and persons associated with research services,” shall be inserted.

XIX. in First Schedule,

- (1) in Form A,

- (a) in item (1), after clause (e) and before clause (f), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(ea) Indicate whether the application for the grant of certificate of registration is for part-time research analyst.

(eb) Whether the applicant is engaged in any other business activity or employment? If so, details of such other business activity or employment.”

- (b) in item (2),

- i. clause (c) shall be substituted with the following, namely: -

“(c) Whether the applicant or principal officer or person associated with research services employed by the applicant or partner of the applicant who renders research services has/have necessary qualification as specified in regulation 7.”

- ii. clause (d) shall be substituted with the following, namely: -

“(d) Number of persons associated with research services employed by the applicant who shall engage in research analysis and/or research report preparation under these regulations on behalf of the applicant. (Provide details thereof, including self certified

copies of supporting documents in respect of qualification for such persons associated with research services employed).”

iii. clause (e) shall be substituted with the following, namely: -

“(e) Declaration by the applicant that the principal officer, persons associated with research services employed and partner who renders research services, of the applicant, if any, currently comply with the qualification requirements under regulation 7.”

iv. clause (f) shall be substituted with the following, namely: -

“(f) Declaration by the applicant that it shall ensure that the principal officer, persons associated with research services employed and partner who renders research services, of the applicant, if any, comply with the certification and qualification requirements under the regulation 7 at all times including obtaining fresh certification before expiry of existing certification.”

v. after clause (f) and before clause (g), the following clause shall be inserted, namely: -

“(fa) Where the applicant is employed and has applied for registration as a part-time research analyst, the applicant shall enclose a no objection certificate from the employer. In case of change in employment, the applicant shall provide no objection certificate from the new employer.”

vi. clause (h) shall be substituted with the following, namely: -

“(h) Networth details or certified copy of assets and liabilities statement.”

(c) in item (5), after clause (f) and before clause (g), the following clause shall be inserted, namely: -

“(fa) In case of registration as part-time research analyst, a declaration that it shall maintain arms-length relationship between its business activity as research analyst and other business activity and shall ensure that its business activities as research analyst are clearly segregated from its other business activity or employment.”

(d) Item 6 shall be renumbered as item 7.

(e) After item 5, the following item shall be inserted: -

“6. SEGREGATION OF RESEARCH SERVICES AND DISTRIBUTION SERVICE

(a) Provide a declaration that no consideration including any commission or referral fees whether embedded or indirect or otherwise by whatever name called shall be received directly or indirectly at Research Analyst’s group or family level for the said service, as the case maybe.

(b) If the applicant is a non-individual, whether the applicant proposes to offer distribution services.”

(2) after Form B, the following ‘Form C’ shall be inserted, namely: -

“FORM C
Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014
[See regulation 9]
Certificate of registration as Part-Time Research Analyst

I. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with the regulations made there under,

the Board hereby grants a certificate of registration to _____ as a part-time research analyst subject to the conditions specified in the Act and in the regulations made thereunder.

II. The Registration Number of the part-time research analyst is IN/RA/_____.

III. This certificate of registration shall be valid till it is suspended or cancelled by the Board

Date:

Place: MUMBAI

By Order

Sd/-

**For and on behalf of
Securities and Exchange Board of India”**

PRAMOD RAO, Executive Director
[ADVT.-III/4/Ext./763/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, were published in the Gazette of India on September 01, 2014 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2014-15/07/1414.
2. The Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014 were subsequently amended on, –
 - a. 8th December, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/023.
 - b. 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - c. 16th March, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/09.
 - d. 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - e. 17th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.
 - f. 7th February, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
 - g. 3rd July 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
 - h. 17th August 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.
 - i. 26th April 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/170.
 - j. 19th August, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/199